



2956
प्रमाण



न्यायालय : - नायब तहसीलदार, खुशहालगंज, सरोजनी नगर
पीठासीन अधिकारी का नाम:- अस्था पांडेय
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460518633
वाद संख्या:- 18633/2026
नायब तहसीलदार प्रवेश कुमार बनाम प्रेमचंद
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 02/06/2026

प्रस्तुत वाद वादी मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ किया गया उसमें विक्रय पत्र दिनांक 04.12.25 के आधार पर प्रस्तुत हुयी। वाद को दर्ज मिसिलबंद कर नियमानुसार इशतहर जारी किया गया, जो तामिल शामिल, पत्रावली है। दौरान मुकदमा कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुयी। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखी/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र, इन्तखाब खतौनी व सादे बारह एकड़ से अधिक भूमि न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है एवं क्षेत्रीय लेखपाल के बयान अंकित कराये। यह विक्रय विलेख उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99 के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। अतः उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामांतरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम दोना, परगना काकोरी, तहसील सरोजनी नगर, जिला लखनऊ की खतौनी 1426 से 1431 फसली के खाता संख्या 00200 की खसरा सं० 797 कुल रकबा 0.1010 हे० में से विकीत रकबा 0.0050 हे०, खसरा सं० 26 कुल रकबा 0.5620 हे० में से विकीत रकबा 0.0281 हे०, खसरा सं० 28 कुल रकबा 0.4750 हे० में से विकीत रकबा 0.0237 हे० खसरा सं० 2791 का कुल रकबा 0.2020 हे० में से विकीत रकबा 0.0101 हे०, खसरा सं० 2792 का कुल रकबा 0.3040 हे० में से विकीत रकबा 0.0152 हे०, खसरा सं० 2953 का कुल रकबा 0.3040 हे० में से विकीत रकबा 0.0152 हे०, खसरा सं० 2956 का कुल रकबा 0.1640 हे० में से विकीत रकबा 0.0082 हे०, खसरा सं० 2769 का कुल रकबा 0.1260 हे० में से विकीत रकबा 0.0252 हे०, खसरा सं० 100 का कुल रकबा 0.0890 हे० में से विकीत रकबा 0.0044 हे०, कुल रकबा 2.3270 हे० में से विक्रीत रकबा 0.1351 हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से विक्रेता श्री प्रेमचंद पुत्र राम दुलारे निवासी-विशेश्वर खेड़ा, दोना, लखनऊ का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र अंजनी कुमार शुक्ला लखनऊ विकास प्राधिकरण का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 04.12.25 अंकित किया जाये। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



2956
2024/21

न्यायालय :- नायब तहसीलदार, खुशहालगंज, सरोजनी नगर
पीठासीन अधिकारी का नाम:- अस्था पांडेय
मण्डल :लखनऊ, जनपद :लखनऊ, तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460515859
वाद संख्या:- 15859/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम जगदीश
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 04/06/2026

प्रस्तुत बाद बादी के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ किया गया उसमे विक्रय पत्र दिनांक 10.04.2026 के आधार पर प्रस्तुत हुयी। वाद को दर्ज मिसिलबंद कर नियमानुसार इश्तहार जारी किया गया, जो तामिल शामिल, पत्रावली है। दौरान मुकदमा कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुयी। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखी / मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र, इन्तखाब खतौनी व साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जिससे यह विक्रय विलेख उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99 के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। अतः उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामांतरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम-दोना, परगना काकोरी, तहसील तहसील-सरोजनी नगर, जिला-लखनऊ की खतौनी 1426 से 1431 फसली के खाता संख्या 00203 की गाटा सं० 26 का कुल रकबा 0.5620हे० में से विकीत रकबा 0.0281 हे०, गाटा सं० 28 का कुल रकबा 0.4750हे० में से विकीत रकबा 0.0237हे०, गाटा सं० 100 का कुल रकबा 0.0890हे० में से विकीत रकबा 0.0044हे०, गाटा सं० 797 का कुल रकबा 0.1010हे० में से विक्रीत रकबा 0.0050हे०, गाटा सं० 2769 का कुल रकबा 0.1260 हे० में से विकीत रकबा 0.0252हे०, गाटा सं० 2791 का कुल रकबा 0.2020हे० में से विकीत रकबा 0.0101हे०, गाटा सं० 2792 का कुल रकबा 0.3040 हे० में से विकीत रकबा 0.0152 हे०, गाटा सं० 2953 का कुल रकबा 0.3040हे० में से विकीत रकबा 0.0152 हे०, गाटा सं० 2956 का कुल रकबा 0.1640 हे० में से विकीत रकबा 0.0020हे०, कुल रकबा 2.3270हे० में से विकीत रकबा 0.1289 हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग। मा०गु० 60ख से विक्रेता जगदीश पुत्र राम दुलारे निवासी विशेषर खेड़ा, काकोरी, लखनऊ का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमती नगर, लखनऊ का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर द्वारा विक्रय पत्र अंकित किया जाये। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



2956

न्यायालय :- नायब तहसीलदार, खुशहालगंज, सरोजनी नगर
पीठासीन अधिकारी का नाम:- अस्था पांडेय
मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460515856
वाद संख्या:- 15856/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम राम बाबू यादव
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 04/06/2026

प्रस्तुत वाद वादी के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ किया गया उसमें विक्रय पत्र दिनांक 10.04.2026 के आधार पर प्रस्तुत हुयी। वाद को दर्ज मिसिलबंद कर नियमानुसार इशतहार जारी किया गया, जो तामिल शामिल, पत्रावली है। दौरान मुकदमा कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुयी। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखी / मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र, इन्तखाब खतौनी व साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जिससे यह विक्रय विलेख उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 8, 89, 90, 97, 98, 99 के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। अतः उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामांतरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम-दोना, परगना काकोरी, तहसील तहसील-सरोजनी नगर, जिला-लखनऊ की खतौनी 1426 से 1431 फसली के खाता संख्या 00662 की गाटा संख्या 3059 कुल रकबा 0.3040 हे० में से विक्रीत रकबा 0.03040 हे०, गाटा संख्या 2947 कुल रकबा 0.0570 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0285 हे० गाटा संख्या 2948 कुल रकबा 0.1520 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0760 हे०, गाटा संख्या 2904 कुल रकबा 0.2530 हे० में से विक्रीत रकबा 0.1265 हे०, गाटा संख्या 2803 कुल रकबा 0.1960 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0980 हे० गाटा संख्या 797 कुल रकबा 0.1010 हे० में से विक्रीत रकबा 0.1010 हे०, गाटा संख्या 2791 कुल रकबा 0.2020 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0505 हे०, गाटा संख्या 2792 कुल रकबा 0.3040 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0760 हे०, गाटा संख्या 2953 कुल रकबा 0.3040 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0760 हे० गाटा संख्या 2956 कुल रकबा 0.1640 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0410 हे०, कुल रकबा 2.0370 हे० में से विक्रीत रकबा 0.9017 हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से विक्रेता राम बाबू यादव पुत्र मथुरा यादव निवासी-बरावनकल कला, काकोरी, लखनऊ का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमती नगर, लखनऊ का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर द्वारा विक्रय पत्र अंकित किया जाये। वपृष्ठ संख्यादरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"